खण्ड-423, अंक-2
बुधवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1920
(25 मार्च, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1998)

खण्ड 423 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–16
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	17
विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अम्बेडकर ग्राम योजना में चयनित गांवों में सभी विकास सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17–18
प्रदेश में वृद्धावस्था विधवा किसान पेंशन का लाभ योग्य अभ्यर्थियों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	18
जनपद कुशीनगर (पड़रौना) में गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	18–19
जनपद पौड़ी की जुलाई, 1997 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कतिपय योजनाओं के संबंध में की गयी घोषणाओं के कार्यान्वयन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
वाराणसी के विकास क्षेत्र बड़ागांव अन्तर्गत श्रीमती मुन्नी देवी की बन्ध्याकरण आपरेशन में हुई असामयिक मृत्यु की जांच कराने एवं दोषी चिकित्साधिकारियों को दण्डित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद बागपत के दाहा दोघर आदि कतिपय गांवों में चकबन्दी कार्य लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19–20
जनपद अम्बेडकर नगर, टाण्डा में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित कृषकों को नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर की कतिपय ग्राम पंचायतों का धन आहरण कर गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20–21
छत्रपति शाहूजी महराज नगर के ग्राम वरिया तहसील मऊ में चकबन्दी प्रक्रिया की जांच करवाने एवं जनपद में डी०डी०सी० की नियुक्ति किये जाने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
आजमगढ़ नगरपालिका स्थित एक विद्यालय के छात्र का अपहरण एवं हत्या से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
बुलन्दशहर में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर पूर्ण कराकर परीक्षायें कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
मिर्जापुर जनपद के इलाहाबाद बैंक शाखा बरौधा में हुए घोटाला की जांच कराये के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22

जनपद बागपत के कतिपय मार्गों का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 23

जनपद जालौन, थाना गोहन, ग्राम गोरा में स्व० श्री श्रीराम पुत्र श्री मन्नीलाल प्रजापति की हत्या की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 23

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 24

जनपद कौशाम्बी के विभागीय अधिकारियों के समय से कार्यालय में उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 24

जनपद मैनपुरी के ग्राम दाहा के पास टैंकर में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में 24–25

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता सदर ब्लाक के जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलकर नये ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 25

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास 25–27

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें 27–30

आश्वासन समिति का 71वां प्रतिवेदन (वर्ष 1978 से 1995 तक (प्रस्तुतीकरण) 30

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 30–31

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 31–32

वित्तीय वर्ष 1998-99 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान (स्वीकृत) 32–33

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान), विधेयक, 1998 (पारित) 33–42

उत्तर प्रदेश अमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, (पारित) 42–43

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 (पारित) 44–47

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 47–49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अजय राय, श्री	वाराणसी	बंश नारायण सिंह , श्री	भदोही
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बाबू लाल, श्री	आगरा
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	शिव शंकर, श्री	बांदा
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(नेता विरोधी दल श्री धनीराम वर्मा, राम विशुन आजाद, श्री रामजग व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एक साथ खड़े होने तथा उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होने, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ अपनी बात कहने से सदन में अत्यधिक शोर होने लगा तथा घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाइये । मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(नत्थी–क के प्रश्न संख्या–1 पर श्री राम औतार शाक्य जी का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए ।)

(विपक्षी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में अत्यधिक शोर होने लगा) (घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12.00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.30 तक और बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृषि उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक विद्युत उत्पादन योजना

**81–श्री राम औतार शाक्य

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उद्योग आदि के समुन्नत विकास के लिये अधिक विद्युत उत्पादन की कोई विशेष कार्य योजना सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

जी हां, विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता कराये जाने हेतु प्रदेश में विद्युत मद की नवीं योजना (1997-2002) प्रस्तावित की गयी है ।

प्रदेश में विद्युत मद की नवीं योजना हेतु रु० 7468.15 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

वाराणसी के बुनकर बिरादराना तंजीमों हेतु रेशम की समुचित व्यवस्था के समाधान की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि रेशम की किल्लत के चलते वाराणसी के बुनकरों के सामने पैदा हुई भुखमरी की स्थिति की तरफ ध्यान आकृष्ट करने हेतु बुनकर बिरादराना तंजीमों ने 23 अगस्त, 1997 को सम्पूर्ण कारोबार बन्द रखा था ? यदि हां, तो उक्त समस्याओं और मांगों के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

दिनांक 23-8-1997 को बुनकरों द्वारा कारोबार बन्द रखा गया था । देश में उत्पादित रेशम की व्यवस्था बाजार से बुनकरों द्वारा स्वयं की जा रही है । कर्नाटक राज्य सिल्क सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लि०, वाराणसी द्वारा भी वर्तमान में बुनकरों को खुले बाजार से रेशम उपलब्ध कराया जाता है । उ० प्र० में रेशम विकास विभाग द्वारा भी विशेष रेशम उत्पादन योजना चलायी जा रही है । साथ ही आयातित रेशम की समुचित व्यवस्था कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के प्रश्न ।

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित गंगहरा खुर्द से अम्बेडकर ग्राम मेउड़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेडकर ग्राम मुंशीपुर में पुल/पुलिया एवं ध्वस्त सड़क के पुनर्निमाण की मांग

1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० खं० लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित गंगहरा खुर्द से अम्बेडकर ग्राम मेउड़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित अम्बेकर ग्राम मुंशीपुर में पुल/पुलिया एवं सड़क ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इस पुल एवं सड़क का पुनर्निमाण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

जी हां । पुलिया की स्थिति ठीक है, लेकिन वर्ष 1993-94 में अतिवृष्टि के कारण पुलिया का एप्रोच रोड लगभग 200 मीटर लम्बाई में कट गया है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के पास निर्माण कार्यों के लिए अपना कोई विभागीय बजट नहीं है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से पुलिया के पुनर्निमाण हेतु धनराशि की मांग दो वर्ष पूर्व ही की जा चुकी है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से धनराशि उपलब्ध होने पर इसका पुनर्निर्माण कराया जायेगा ।

जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारियों के निलम्बन की जानकारी

2–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आधार पर कितने ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित

किया गया ? क्या यह सही है कि बिना जांच पत्र तामील किये तथा बिना किसी प्रक्रिया के उक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उक्त निलम्बित करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जनपद बदायूं में इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताओं के आधार पर चार ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलम्बित किया गया ।

जी नहीं निलम्बन में अनुशासनात्मक प्रक्रिया अमल में लायी गयी है । ग्राम पंचायत अधिकारियों के निलम्बिन के पूर्व विस्तृत जांच करायी गयी तथा दोषी पाये जाने पर ही निलम्बन किया गया । अतः निलम्बन के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय बहादुर सिंह ग्राम–पूरे बेलखरिया, पोस्ट दुलारी नगर का स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्रेषित शिकायती-पत्र

3–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री विजय बहादुर सिंह, ग्राम–पूरे बेलखरिया, पो०–दुलारीनगर का दिनांक 26-11-97 का प्रार्थना पत्र जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)

जी हां । प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर द्वारा फाइलेरिया फील्ड वर्कर के पद पर की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच की मांग

4–श्री दिलीप कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर ने दिनांक 16-8-95 से 15-9-97 के मध्य फाइलेरिया फील्ड वर्कर के एक पद पर की गयी नियुक्ति की जांच कराकर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त अवधि में सात के अतिरिक्त 32 नियुक्तियां भी मुख्य चिकित्साधिकारी ने की है जिसमें 2 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं ? क्या उक्त नियुक्तियां चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, अर्धशासकीय पत्र संख्या–28/सेक–4/पांच–वि०प०–2/97, दिनांक 19 मार्च, 1998 द्वारा निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश को संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच कराने तथा जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुबारिकपुर ब्लाक गंगोह जनपद सहारनपुर में इन्दिरा आवास बनाये जाने का कथित प्रस्ताव

5–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं०–132 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक गंगोह के ग्राम मुबारिकपुर में ग्यारह इन्दिरा आवासों को बनाये जाने के संबंध में ग्राम सभा द्वारा दिनांक 28-9-96 का प्रस्ताव पारित कर अपर जिलाधिकारी (प्र०) को भेजा था, जिसे उन्होंने अपने पत्रांक 990/एस०टी०/(ई०) दिनांक 28 फरवरी, 1997 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को इसी वित्तीय वर्ष में आवास बनाये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त इन्दिरा आवास न बनाये जाने हेतु कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? इन्दिरा आवास कब तक निर्मित करा दिये जायेंगे ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां किन्तु वर्ष 1996-97 में इन्दिरा आवास अम्बेडकर ग्रामों में देने के प्राथमिकता के कारण ग्राम मुबारिकपुर में इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया जा सका । इसके लिये कोई कार्मिक दोषी नहीं है ।

वर्ष 1997-98 में ग्यारह आवास ग्राम पंचायत मुबारिकपुर को दिये गये हैं ।

बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा द्वारा बभनान से खेड़ारे जाने वाली सड़क पर कस्बा बभनान तक मिल को उक्त सड़क की मरम्मत कराने हेतु आदेश देने की मांग

6–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा द्वारा बभनान से खेड़ारे जाने वाली सड़क पर कस्बा बभनान में भीषण धंसाव होने के कारण जनता के आवागमन के लायक नहीं रही है ? क्या सरकार उक्त मिल को उक्त सड़क की मरम्मत कराने का आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ सेवा महानिदेशालय के आदेश का पालन न किये जाने की जानकारी

7–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेल महानिदेशालय के पत्रांक–2फ/स्थाना०/97/2372, दिनांक 22 जुलाई, 1997 का पालन समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर, गोरखपुर, सहारनपुर वाराणसी, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर तथा जौनपुर द्वारा निदेशक (प्रशासन) के पत्र दिनांक 22-7-97 का पालन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । शेष जनपदों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड कोन के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम मड़ेरा में स्वीकृत इन्दिरा आवास वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गोबरहा में बनवाने विषयक जानकारी

8–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड कोन के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम मड़ेरा में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत इन्दिरा आवास वर्तमान ग्राम द्वारा ग्राम गोबरहा में बनवा दिया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा शासनादेश का खुला उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना द्वारा सम्पर्क मार्गों पर हुए अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

9–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जवाहर रोजगार योजना द्वारा सम्पर्क मार्गों पर हुए अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र संख्या एम 4/25–47/गोण्डा/97, 21-3-97 के सन्दर्भ में आयुक्त फैजाबाद मण्डल को कार्यवाही एवं भौतिक सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । प्रश्नगत पत्र संख्या–एम–4/20-47/गोण्डा/97 दिनांक 21-3-1997 की प्रति प्राप्त करने हेतु मा० विधायक महोदय से अनुरोध किया गया है ।

जनपद फतेहपुर विकास खण्ड मलवा के ग्राम आंव में जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य अनियमितताओं की जांच

10–श्री अयोध्या प्रसाद पाल (फतेहपुर)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा के ग्राम आवं में जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य अनियमितताओं की जांच संबंधी संसद सदस्य, लोक सभा फतेहपुर का पत्र दिनांक 18-8-1197 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी द्वारा शीघ्र जांच कराकर कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं, अपितु पत्र दिनांक 10-8-97 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

जांच कराई गई, जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11–श्री राम सेवक सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में कार्यवाही न करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

12–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं०वि० के अधिष्ठान–4 अनुभाग के पत्रांक 17259/इ-4/4दी-2सी/68, दिनांक 7-1-75 जिसके द्वारा कतिपय कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में टिप्पणी शासन को प्रेषित की गयी थी, के सन्दर्भ में शासन द्वारा अपने पत्रांक 124/ए०एन०/23_सिं०–अनु०–7, दिनांक 2-7-1975 द्वारा जो सूचना मांगी गयी थी, तो क्या वह विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इंगित सन्दर्भ अत्यधिक पुराने एवं अनुपलब्ध होने के कारण कार्यवाही प्रासंगिक नहीं है ।

श्री अजय कुमार पोइया स०वि०स० द्वारा मा० स्वास्थ्य मंत्री के दिए गए पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 244876, 244877 एवं 2448778 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

14–श्री अजय भट्ट–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद महराजगंज की ग्राम सभा बड़हरा चरगहां में अनुसूचित जाति के परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे बने आवासों को शीघ्र बनवाए जाने की मांग

15–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बड़हरा चरगहां के अनुसूचित परिवारों को इन्दिरा एवं निर्बल आवास निर्माण हेतु पांच व्यक्तियों को व्यक्तियों को वर्ष 92-93 में धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज तक पांच व्यक्तियों की भूमि पर नींव बनाकर पंचायत अधिकारी ने छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे आवास को तत्काल पूरा कराने का आदेश देते हुए आवास धनराशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

वर्ष 1992-93 में धन अवमुक्त नहीं किया गया था। वर्ष 1989-90 में चार एवं वर्ष 1990-91 में एक कुल पांच व्यक्तियों को निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

एक व्यक्ति की दीवाल तैयार है किन्तु लिन्टर नहीं बना है। एक व्यक्ति की तीन फुट दीवाल बनी है तथा शेष तीन व्यक्तियों का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

जी हां। समुचित आदेश जिलाधिकारी महराजगंज को दे दिये गये हैं।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए कार्यों में अनियमितताओं की जांच

16–श्री दीप लाल भारतीय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिसवां जनपद महराजगंज में पड़ने वाले नहरों, कुलाबों, माइनरों ड्रेनों की मरम्मत, सफाई, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये सिंचाई खण्ड–2 जनपद महराजगंज को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95, 95-96 में 50 लाख रुपया अवमुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुरूप कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने कार्यों में प्रगति लाने के लिये शासन को दिनांक 3-2-96, 2-3-96, 22-7-96 तथा मा० मंत्री जी को दिनांक 31-3-97 को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायतों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल कुइंया रजवाहा के क्षमता वृद्धि हेतु वर्ष 1995-96 में रुपये 2.43 लाख की धनराशि सिंचाई खण्ड–2 महराजगंज को प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त कार्य स्वीकृत आगणन के अनुरूप ही कराया गया है।

मा० पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के शिकायती-पत्र दिनांक 3-2-96, 2-3-96 का सम्बन्ध सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यों से नहीं है। दिनांक 22-7-96 तथा दिनांक 31-3-97 के शिकायती-पत्र पर जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग की कैन्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी में, भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त करने के बावजूद रह रहे अधिकारियों से सरकारी आवास खाली कराए जाने की मांग

17–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की कैन्ट रोड, लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी में वर्तमान में कितने ऐसे अधिकारी सरकारी आवासों में आवंटनोपरान्त प्रवास कर रहे हैं जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम प्रपत्र में घोषित किया है कि ऋण द्वारा निर्मित आवास में वे स्वयं सपरिवार प्रवास करेंगे जबकि ऋण प्राप्त होने पर निर्मित भवन को किराये पर उठाकर व्यवसायिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? क्या ऐसे लोक सेवकों से तत्काल सरकारी आवास रिक्त करवाकर सरकार को धोखा देने के आरोप के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेंगे ? इस संबंध में पूर्व में निर्गत स्टाफ अधिकारी (नियोजन) सिंचाई विभाग के पत्रांक 5073/आई०वी/86बी, दिनांक 4-2-1985 पर शारदा सहायक अनुभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग की कैन्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी में वर्तमान में 12 ऐसे अधिकारी प्रवास कर रहे हैं, जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम लेकर भवन का निर्माण कराया है। इनमें से 5 अधिकारियों ने लखनऊ में तथा शेष 7 ने प्रदेश के अन्य जनपदों में भवन निर्माण कराया है।

वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त करके भवन का निर्माण कराने वाले लोकसेवक उन्हीं भवनों में प्रवास करें। अतः प्रश्न में अपेक्षित शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान को संशोधित किए जाने की मांग

18–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 27-8-97 एवं उ० प्र० ग्राम्य विकास वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक संघ, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या मेमो/संगठन दिनांक 21-11-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ? वर्तमान में पी०सी०एस० संवर्ग के कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनका वेतन क्या है ? इनमें सम्बद्ध आशुलिपिकों को क्या 1640–2900 का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग में पी०सी०एस० संवर्ग के मुख्यालय पर एक अपर आयुक्त, 2 उपायुक्त क्रमशः रु० 4500–5700, रु० 3700–5000 वेतनमान में कार्यरत हैं तथा संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त भी हैं। जनपद स्तर पर पी०सी०एस० संवर्ग के 59 मुख्य विकास अधिकारी तथा 11 अपर जिलाधिकारी (परियोजना) वेतनमान रु० 5900–6700, रु० 5100–6150, रु० 4500–5700, रु० 3700–5000 एवं रु० 30004500 में तैनात हैं। संघ के मांग पत्रों में की गई मांग के अनुसार मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिकों को रु० 2000–3200, रु० 1640–2900, रु० 1400–2600 के वेतन पुनरीक्षण के आदेश वित्त विभाग की सहमति से दिनांक 24-3-98 को जारी कर दिये गये हैं। पी०सी० संवर्ग के समस्त अधिकारियों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिकों को रु० 1640–2900 का वेतनमान दिये जाने की नीति नहीं है।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब में स्थित अम्बेडकर ग्राम भौसी के इन्दिरा आवासों के वितरण की जांच

19–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले बुधवार के अता० प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। जांच एवं स्थलीय सत्यापन में यह पाया गया है कि किस अपात्र को लाभार्थी के रूप में चयनित नहीं किया गया है। वर्ष 1996-97 में चयनित एक आवास का निर्माण नहीं हुआ है तथा कुछ आवासों में शौचालयों के निर्माण का कार्य कराया जाना शेष है। उक्त आवासों को एक माह में पूर्ण

रूपेण पूरा कर लिये जाने के आदेश जिलाधिकारी लखनऊ को दे दिये गये हैं। अपूर्ण आवास के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग में सरकारी टेलीफोन के दुरुपयोग की जांच गुप्तचर विभाग से कराये जाने की मांग

20–श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के टेलीफोन एक्सचेन्ज के डायरेक्टर नम्बर से वर्ष 1991 से 1993 के मध्य विदेशों (यथा दुबई/कुवैत/अरब/अमीरात तथा यू० एस० ए० आदि) के नम्बरों पर काल मिलाये जाने के परिणामस्वरूप कितने लाख रुपये की धनराशि का बीजक टेलीफोन विभाग द्वारा भेजा गया था ? उक्त बीजक का भुगतान न होने के कारण क्या उक्त टेलीफोन एक्सचेन्ज की एस०टी०डी० आदि सुविधायें समाप्त हो गयी थी ? क्या उक्त दूरभाष वार्तायें रात्रिकाल में ही सम्पन्न हुई हैं ? क्या टेलीफोन विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्तांकित बीजक की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए प्रकरण की जांच गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत टेलीफोन से कथित अवधि में विदेशों से दिन/रात्रि काल में हुई वार्ताओं के फलस्वरूप रु० 44.710/- के प्राप्त बीजक का भुगतान न होने पर एस०टी०डी० सुविधा बन्द हो गयी थी।

गुप्तचर विभाग से जांच कराये जाने हेतु प्रकरण प्रदेश सरकार के गृह विभाग को सन्दर्भित् कर दिया गया है।

सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रीष्मकालीन वर्दी के कपड़े की खरीद एवं सिलाई के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

21–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के लखनू स्थित कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दी जाने वाली ग्रीष्मकालीन वर्दी के कपड़े का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दुकानों से वर्ष 1997 में किया गया है ? क्या गैर निर्धारित दुकानों से किये गये क्रय विवरण उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त वर्ष में उक्त प्रकार क्रय किये गये वर्दी के कपड़ों की माप पुस्तिका में अंकित किये जाने के पश्चात् कर्मचारियों को कपड़ा दिया गया है ? सिलाई का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

लखनऊ स्थित जिन कार्यालयों हेतु ग्रीष्मकालीन वर्दी का क्रय किया गया है, शासन द्वारा निर्धारित दुकानों पर वर्दी का स्टाक उपलब्ध न होने के कारण कोटेशन प्राप्त करके गैर निर्धारित दुकानों से क्रय किया गया, जिसकी माप, माप पुस्तिकाओं में अंकित की गयी है।

शासनादेश संख्या–2293, 18/7/93–25(जी–1)/93, दिनांक 27-11-93 में निर्धारित दरों पर सिलाई का भुगतान किया गया है।

लखनऊ स्थित हार्डिंग पुल से ऊपर के गोमती नदी के बायें तटीय बांध के मिट्टी के कार्यों में की गई अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

22–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित हार्डिंग पुल से ऊपर गोमती नदी के बायें तटीय बांध के मिट्टी के कार्यों (वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ) को मेसर्स पाल कांसट्रक्शन कं० नई दिल्ली

तथा तथा मै० ब्रिटिश इण्टरप्राइजेज लखनऊ द्वारा अपूर्ण छोड़ दिये जाने की स्थिति में उक्त कार्यों को किस धरातल की ऊंचाई को आधार मानकर किस डेविटेबल एजेन्सी से किस दर पर कार्य कब पूरा कराया गया तथा इसमें शासन को कुल कितनी क्षति हुई ? अधूरे कार्यों पर नियमानुसार 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड न लगाये जाने के कारण शासन को पुनः हुई क्षति के लिये उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पद क्या है ? उपरोक्तांकित कार्यों का हस्तान्तरण सप्तम मण्डल के अन्तर्गत हो जाने के उपरान्त उक्त क्षति की भरपाई किये जाने हेतु शासकीय हित में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में एक किलोमीटर का लिंक सीमेंट कंकरीट मार्ग डी०आर०डी०ए० द्वारा स्वीकृत एवं निर्माण सम्बन्धी जानकारी

23–श्री सौलत अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तल्ली लमाई (राजस्व ग्राम चौकी) तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में एक किलोमीटर का लिंक सीमेन्ट कंकरीट मार्ग डी० आर० डी० ए० पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत था ? यदि हां, तो क्या इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि अध्याप्ति अनुभाग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्रांक–746/आई०एल०ए०, दिनांक 16-7-86 द्वारा गजट नोटीफिकेशन हेतु पत्र की प्रति उपलब्ध न होने विषयक जानकारी

24–श्री मुन्ना चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति अनुभाग, सिंचाई विभाग के पत्रांक 740/आई०एल०ए०, दिनांक 16-7-86 द्वारा गजट नोटिफिकेशन हेतु जिन भूमि अध्यप्ति प्रकरणों को ब्लाक इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था ? क्या विभाग द्वारा उक्त भुमियों पर पूर्व में ही अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था ? विभाग द्वारा प्रकरण से संबंधित भूमि मुआवजे की धनराशि जिलाधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को किन-किन तिथियों में दी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

भूमि अध्याप्ति अनुभाग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, विभाग के पत्रांक–746/आई० एल० ए०, दिनांक 16-7-86 द्वारा गजट नोटीफिकेशन हेतु पत्र की प्रति उपलब्ध न होने पर इस प्रकरण की जानकारी निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद से की गयी । उन्होंने अपने पत्रांक–13/विविध/ ओ०आर०के०, दिनांक 11-2-98 द्वारा यह अवगत कराया है कि भूमि अध्याप्ति अनुभाग के उक्त पत्र की प्रति उनके विभाग में प्राप्त नहीं हुई है । इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा वर्ष 1994 से 1997 तक प्रिंटिंग व स्टेशनरी से संबंधित आमंत्रित निविदायें एवं व्यय धनराशि आदि की जानकारी

25–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा वर्ष 1994 से 1997 तक प्रिंटिंग व स्टेशनरी से संबंधित कितने निविदायें समाचार पत्रों द्वारा आमंत्रित की गयीं एवं कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? यदि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी तो किस आधार पर प्रिंटिंग

एवं स्टेशनरी का कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा वर्ष 1994 से 1997 तक प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी से संबंधित कोई निविदा समाचार पत्रों द्वारा आमंत्रित नही की गई है । वर्ष 1994 से 1997 तक प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी पर मु०- 12,69,722.00 रु० की धनराशि व्यय की गई है ?

सहकारिता विभाग के शासनादेश सं०–2715/12सी–3-93–10(92)/93, दिनांक 19 जुलाई, 1993 एवं पंचायतीराज विभाग के शासनादेश संख्या 5038/ग–33-3-371–74, दिनांक 19 जुलाई, 1974 में निहित प्राविधानों के अनुसार पंचायत उद्योग एवं केन्द्रीय उपभोक्ता से प्रिंटिंग का कार्य उनके पास प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध होने के कारण कराया गया है तथा पंचायत उद्योग एवं केन्द्रीय उपभोक्ता द्वारा लेखन सामग्री से संबंधित जिन सामानों का उत्पादन नहीं किया जाता है, उस सामग्री की आपूर्ति किस आधार पर कराई गई है, यह स्पष्ट नहीं है । प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, और आप हमारी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है...

(व्यवधान)

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दिया है, उस पर आप सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके बैठ जाइये । कृपया एक-एक सदस्य बोलें । एक मिनट आप मेरा निवेदन सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायें । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । हम सब लोग अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये हैं और प्रदेश की जनता हमसे आशा रखती है कि उनकी जो हमसे आशायें और अपेक्षायें हैं, वह हम पूरी करेंगे । माननीय नेता विरोधी दल कृपया आप अपने सदस्यों को नियंत्रित करें और सदन में शांति का वातावरण होना चाहिये और प्रदेश की जनता के बीच एक संदेश जाये कि जिसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमने सदन में भेजा है हमारी समस्याओं को उठाने के लिये गंभीर है । अगर इसी प्रकार का वातावरण रहा, तो क्या यह संभव हो पायेगा ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, सम्पूर्ण विपक्ष अपनी बात को रखना चाहता है । जो घटनायें घटित हुई हैं, पिछले सदन से लेकर अब तक उन सबको विधान सभा में रखना चाहते हैं और रखने की कोशिश करते हैं । लेकिन पता नहीं माननीय अध्यक्ष जैसे ही आये और लोग खड़े हुये, गुस्सा होकर चले गये । क्या वह सुनना नहीं चाहते हैं । कह देते कि अभी नहीं सुनेंगे थोड़ी देर बाद में सुनेंगे, लेकिन वह सदन को स्थगित कर गुस्से में चले गये । इस का मतलब यह है कि वह हमारी बात को सुनना नही चाहते हैं । मैं यह अपेक्षा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये । कम से कम निर्देश तो देना चाहिये था कि बैठ जायें, थोड़ी देर में सुन लूंगा ।

प्रजातंत्र का बिल्कुल गला घोंटा जा रहा है । मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस पीठ से ऐसा नहीं होना चाहिये । कम से कम निर्देश तो देना चाहिये था कि बैठ जाइये थोड़ी देर बाद सुन लूंगा । हमारी समस्या को कम से कम सुना तो जाय । हमारे माननीय सदस्यों ने नियम 311 और 56 में सूचनायें दी हैं उनको आपको सुनना चाहिये ।

* श्री प्रमोद कुमार–

आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सदन व्यवस्थित रूप से चले । क्षेत्र से जो विधायकगण आये हैं वह अपनी-अपनी समस्यायें रखना चाहते हैं । आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत सही समय पर कही । 12 बजे सदन स्थगित हुआ और साढ़े 12 बजे आप विराजे हैं आपने बिल्कुल समय से सही बात कही यह मैं मानता हूं । लेकिन सदन चलाना है तो आप सबको, नेताओं की बात 2-2 मिनट तक सुन लें आपको सहूलियत हो जायेगी और हमें भी सहूलियत हो जायेगी और सदन व्यवस्थित हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद कुमार जी अब भी बोलते हैं आप समय से ही बोलते हैं लेकिन आपका समय 24 घंटे बना रहता है । मैं कह रहा था कि आज नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई थी माननीय अध्यक्ष जी ने उनको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है । जब इसका समय आयेगा तब आपको निश्चित रूप से सुना जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपने हमसे शांति की अपेक्षा की है हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन आपसे यह निवेदन ग्रीवा से करना चाहते हैं कि हमारी जो उनको सुना जाय । हम शांत वातावरण के पक्षधर हैं । हम चाहते हैं कि हम अपनी बात शालीनता से रखें और हमारा आचरण आपकी गरिमा के अनुसार रहे । लेकिन हमारी भावनाओं पर कुठाराघात करके माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से हमारा अपमान किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं कृपया इसे वापस लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, वापस करते हैं लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश में सरकारी मशीनरी के इशारे पर जिस तरह के उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है वह गंभीर बात है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अभी कहा कि नियम 311 में जो सूचनायें प्राप्त हुयीं थी उनको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। जब नियम 56 आये तब कहियेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने कहा कि नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है, अध्यक्ष जी ने कर दिया है। हमारी यही तो आपत्ति है कि जो सूचना हमने नियम 311 में दी है उसको आप सुनें और सुनने के बाद यदि वह नियम 311 में नहीं आती है तो उसे निरस्त कर दें। बिना सुने हुए निरस्त करेंगे तो विपक्ष में बैठे हुये सम्मानित सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर 3 दिन का समय है। पिछला जो सदन हुआ था उसमें सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के अनुसार कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होना था। आप हमारी समस्याओं को सुन लें।

मान्यवर, आप सुन तो लें। आप सुनना भी नहीं चाह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के अन्तर्गत सुनने के लिये तैयार हूं। कुछ नियम हैं, कुछ परम्पराएं हैं उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होती है और उन नियमों के अन्तर्गत ही सुना जा सकता है। मैंने पहले निवेदन कर दिया है कि नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

यह विपक्ष का अधिकार है। सुनकर निरस्त करिये।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं। आप सुन तो लीजिए। आपको स्पष्ट हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप देख लें नियमों में दिया हुआ है। नियमों का निलम्बन कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे। आखिर कोई नियमावली है उसका पालन करेंगे तब ही सदन चलेगा। आप इसको देख लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं देख रहा हूं। 311 पढ़ रहा हूं। आप भी पढ़ लीजिये। इसमें लिखा है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से। मान्यवर, अध्यक्ष कोई अर्न्तयामी नही होता है। उनके सामने सारे तथ्य और साक्ष्य रखे जाते हैं उन तथ्यों और साक्ष्यों को आप नहीं सुनेंगे ? आप इस कुर्सी पर विराज सकते हैं लेकिन अर्न्तयामी नहीं हो सकते हैं। सदस्य क्या कहना चाहते हैं यह आप नहीं जान सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं आप सुन तो लें। आप इस तरह से निर्णय लेंगे तो ऐसा लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित

होकर निर्णय लिये जाते हैं तो इस तरह से न इस पीठ के साथ और न नियमावली के साथ निर्णय कर पा रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपराधबोध से ग्रसित हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप इतने वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं। मुझे आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप बोलने का अवसर लेकर वह बातें कहें जो उचित नहीं कही जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के अधिकारों को हनन हो रहा है इसलिये उत्तेजित होकर हमको कहना पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर का सम्मान प्राप्त है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष की कोई बात न सुनी जाय ऐसी मंशा न इस पीठ की थी, न है न होगी। जहां तक नियम–311 का प्रश्न है जैसा कि नियमों में प्राविधान है और मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं में नियम–56 में परिवर्तित माननीय अध्यक्ष जी ने पढ़कर के किया है। ऐसी परम्परा रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब सहयोग करें सदन की कार्यवाही के संचालन में। 301,300 की सूचनाएं ली जायेंगी और यथासमय नियम–56 की भी ली जायेंगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नियम–311 की सूचनाओं को परिवर्तित किया जा रहा है। इस तरह से सरासर विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

जो नियम–56 के अन्तर्गत आयेंगी उनको अवश्य सुनूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने इस तरह के आक्षेप लगाये हैं। मान्यवर, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है।

(व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

आज सदन में जैसे ही आज का कार्य संचालन प्रारम्भ हुआ हाउस स्थगित हो गया इससे लगता है सचमुच आप कितने गंभीर हैं।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई मैं आक्षेप लगाए बिना कहना चाहता हूं सदन स्थगित हो गया। सारे सदस्य दुखी हैं इस सदन के मंच से वह जनता की पीड़ा को उठाना चाहते थे, लेकिन वह जनता की पीड़ा को सदन के मंच से नहीं रख पाए।

(व्यवधान)

श्रीमन्, सत्तापक्ष के लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं अपने दल के लोगों को संयमित नहीं कर सकते हैं आप बार-बार हमारी तरफ इंगित करते हैं कि शान्तिपूर्वक सदन चलाएं। अगर आपका संरक्षण विपक्ष के सदस्यों को नहीं मिला तो जिस पीठ पर आप बैठे हैं उसकी गरिमा नहीं रह जाएगी।

(व्यवधान)

प्रदेश की जनता से संबंधित बात को हम सदन में रखना चाहते हैं। हम लोग जनता की पीड़ा से मर्माहत हैं उसकी पीड़ा को दूर करने की पहली शुरुआत वहां से होनी चाहिए आप जहां बैठे हैं, जिस पीठ पर आप बैठे हैं। दूसरी शुरुआत मंत्रिमण्डल के लोगों की तरफ से होनी चाहिए और तीसरी इधर से। (व्यवधान) बिना किसी कारण सुबह सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और फिर बारह बजे से 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इस सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो प्रदेश की जनता ने जो हमें चुनकर भेजा है उसका क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम लोगों का अधिकार है 311 में उठाने का, जो नियम–56 में सूचना दी गई है उनकी सुनवाई का समय घोषित करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले भी यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह सदन नियमों से परम्पराओं से परस्पर एक दूसरे के सम्मान भाव से, आदर भाव से चलता है। जो आज की कार्यसूची है हम उसके मुताबिक चलेंगे। मैंने यह निवेदन कर दिया था कि 311 की सारी सूचनायें नियम–56 में परिवर्तित कर दी गई हैं यथासमय यथानियम उसको सुनेंगे। 301 जिस प्रकार की परम्परा रही है उसको लिया जाएगा। नियम 56 में जैसा सलाहकार समिति द्वारा तय हुआ है उसको सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप यह बता दें कि नियम–56 इस समय लिया जाएगा, फिर जिस क्रम से चलाना चाहेंगे उसी क्रम से चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–8 पर देखें। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है वह यथा-समय लिया जाएगा।

(व्यवधान)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री रवीन्द्र शुक्ला)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया । श्री लालजी वर्मा ब० स० पा० के सभी सदस्यों के साथ सदन के फ्लोर पर आकर नियम 311 की सूचनाओं को सुने जाने की मांग करने लगे)

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के खिलाफ साजिश रची जा रही है । आप इसको नियम 311 में सुन लें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25 मार्च, 1998 को सदन को संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 18 सूचनाएं स्वीकार की गई ।

[इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित माननीय सदस्य बेल में आये गए और पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, खरीदफरोख्त की यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, के नारे लगाने लगे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा]

श्री अधिष्ठाता–

नियम 301 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है, दूसरी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की है, तीसरी सूचना श्री दीपलाल भारतीय की है, चौथी सूचना श्री मोहन सिंह रावत गांववासी की है, पांचवी सूचना श्री बचनू राम पटेल जी की है, छठी सूचना श्री समर पाल सिंह जी की है, सातवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की है, आठवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है, नवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की है, दशवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है, ग्यारहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि की है, बारहवीं सूचना श्री भाई लाल की है, तेरहवीं सूचना श्री कौकब हमीद की है, चौदहवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की है । पन्द्रहवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की है, सोलहवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है, सत्रहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, अठारहवीं सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं वह इस प्रकार हैं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण मुन्ना की है, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, चौथी सूचना श्री रामजग की है ।

(कई सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

कृपया आप लोग अपने आसन पर जाएं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सदन अकारण अव्यवस्थित हो रहा है । इनको दो मिनट सुन लें ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अम्बेडकर ग्राम योजना में चयनित गांवों में सभी विकास सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1995 से 97 तक जिन ग्रामों का चयन अम्बेडकर ग्राम योजना में किया गया था उन सभी ग्रामों में अभी तक अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत जो भी विकास की सुविधायें मिलनी चाहिए थी उसे अभी तक नहीं दिया गया है। विद्युत सड़क और आवास जैसी मुख्य सुविधा मिलनी चाहिए थी उसे अभी तक नहीं दिया गया संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से जिन ग्रामों को वास्तव में लाभ दिया जाना था उन ग्रामों को लाभ नहीं दिया गया मात्र कागजों में दिखाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। यदि ग्रामों में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन करा लियां जाय तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि जनहित में अम्बेडकर ग्रामों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्य करवाने का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा एवं किसान पेंशन का लाभ योग्य अभ्यर्थियों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, आपके ध्यान में यह लाना है कि प्रदेश में आज गरीबों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के सामने घोर समस्यायें हैं। यह विचारणीय तथ्य है कि इन लोगों के पक्ष में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनसे भी पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वृद्धावस्था विधवा किसान पेंशन के आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि जिनके आवेदन पत्रों का निस्तारण होकर पेंशन स्वीकृति हो चुकी है उनको भी भुगतान समय से नहीं हो रहा है। निर्धन जाति की लड़कियों के विवाह जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं उनके हजारों आवेदन-पत्र निलम्बित हैं, धन नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी धन पाने के लिए विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं इसी तरह राष्ट्रीय परिवारिक योजना के प्रार्थना-पत्र भी विचाराधीन हैं उन्हें भी धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण असहाय हो गए हैं।

वृद्धावस्था पेंशन जो गरीब हैं लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट मांगी जाती है उसमें कहते हैं कि जिनके लड़के हैं, लड़के वालों को पेंशन नहीं मिलेगी तथा जिनकी आमदनी 24 हजार से 27 हजार वार्षिक है उसे भी पेंशन का लाभ मिलेगा। 2400 आर्थिक आय बहुत कम होती है इसलिए गरीबों के लिए पेंशन की स्पष्ट नीति शासन द्वारा जनता तक पहुंचाया जाना आवश्यक है। 60-65 वर्ष के पुरुष महिलाएं तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त लोग वृद्धावस्था पेंशन फार्मों का प्रमाण-पत्र देने में डाक्टर लोग आनाकानी करते हैं तहसील दिवस पर किसान सेवा केन्द्रों पर डाक्टरों को रहने का सख्त निर्देश है परन्तु कोई डाक्टर नहीं पहुंचता उन्हें सख्त निर्देश दिया जाये कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित रहे तथा प्रमाण देने का निर्देश जनहित में दिये जाएं जिससे योजना का लाभ भी गरीबों को मिल सके। जो वृद्ध माता पिता लड़के से अलग रहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से पेंशन दिया जाय जिसका प्रमाण-पत्र जनप्रतिनिधियों से लिया जाय तभी वास्तव में गरीबों को इसका लाभ मिल सकेगा वरना गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः यह जनहित का महत्वपूर्ण प्रश्न है सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है एवं सदन की कार्यवाही रोककर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर (पड़रौना) में गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीपलाल भारतीय–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अति अविलम्बनीय लोकहित महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। प्रदेश का गन्ना बाहुल्य जनपद कुशीनगर (पड़रौना) में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम व प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा समय से गन्ना मूल्य किसानों को भुगतान नही हो रहा है, इससे गन्ना कृषक बेहद परेशान एवं उत्पीड़ित है।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार गन्ना मूल्य अब बैंकों के माध्यम से होना है तथा प्रक्रिया जारी भी है, अनेक विघ्न उत्पन्न हो गये हैं प्रारम्भ में केन यूनियनों ने खाता खोलने का फर्जी आंकड़ा पेश करके सरकार को गुमराह एवं बदनाम कर ही रहे हैं वहीं किसानों को धोखा दिया है। इसके बाद स्थानीय बैंकों ने स्टाफ की कमी के साथ स्टेशनरी का अभाव बताकर खाता खोलने में अड़चन एवं परेशानी पैदा किया है, वहीं अब मार्च को क्लोजिंग माह बताकर भुगतान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में दिनांक 18-2-98 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पड़रौना डिग्री कालेज के मैदान में घोषणा करने के पश्चात् कि इस वर्ष छोटे गन्ना किसानों को अस्थाई तौर पर केन यूनियनों से भुगतान का आदेश यथाशीघ्र दिला रहे हैं। इस घोषणा का अनदेखा कर आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

ज्ञातव्य हो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता गन्ना मूल्य भुगतान पर ही अपने बच्चों की पढ़ाई बूढ़े मां बाप की दवाई, बेटा बेटियों की शादी व्याह कर्जे की अदायगी करता है। यह जनहित का गंभीर प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाकर अपेक्षा की जाती है कि गन्ना कृषकों को भुगतान यथाशीघ्र दिलाकर जनता को राहत पहुंचाया जाय।

अतः उपरोक्त लोकहित अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद पौड़ी के जुलाई, 1997 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कतिपय योजनाओं के संबंध में की गई घोषणाओं के कार्यान्वियन के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है कि 6 जुलाई, 1997 को पौड़ी 17, 18 जुलाई, 1997 को देहरादून में माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने कुछ घोषणायें की थीं, जिसमें नगर पालिका परिषद् श्री नगर तथा नगर पालिका परिषद् पौड़ी को विभिन्न कार्यों हेतु नगर विकास से 25.425 लाख रुपये स्वीकृत करने निर्गत किये उत्तरांचल विकास विभाग से दो उक्त नगर पालिका परिषदों को 25 व 25 लाख रुपये देने की घोषणा की परन्तु अभी तक इन नगर पालिका परिषदों को धन उत्तरांचल विकास विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि पौड़ी में बुवाखाल से प्रेमनगर गडोली मोटर मार्ग 5 किमी० बाई पास स्वीकृति किया जाता है, परन्तु अभी तक धन उपलब्ध नहीं हुआ है। उत्तरांचल सहित भारत के पुरातत्व आदि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का संरक्षण व संवर्धन के लिये उत्तराखण्ड इतिहास पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी गढ़वाल को स्थापित करने के लिये तीन करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने की थी, जिसका अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है पौड़ी नगर की भीषण पेयजल की समस्या का समाधान हेतु नानघाट ग्रेविटी पेयजल योजना की स्वीकृति की थी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने की थी परन्तु अभी तक उक्त पेयजल योजना का शासनादेश नहीं हो सका है। विकास क्षेत्र कोट (जिला पौड़ी गढ़वाल) में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ा खाल का इण्टर विज्ञान सहित उच्चीकरण करने की घोषणा का अभी तक शासनादेश नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी उक्त विषय अत्यधिक गम्भीर उत्तरदायित्वपूर्ण व शासन के प्रमुख माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन करना अविलम्बनीय लोक महत्व के होने से शासन को तत्काल पूरा करना नितान्त आवश्यक है। इस पर शासन सदन में उत्तरदायित्व का उत्तर दें।]

वाराणसी के विकास क्षेत्र बड़ागांव अन्तर्गत श्रीमती मुन्नी देवी की बन्ध्याकरण आपरेशन में हुई असामयिक मृत्यु की जांच कराने एवं दोषी चिकित्साधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबूराम पटेल–

[मान्यवर, जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र बड़ागांव अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव पर दिनांक 21-3-98 को बन्ध्याकरण शिविर आयोजित किया गया जिसमें बन्ध्याकरण के लिए मुन्नी देवी पत्नी हरिनाथ अवस्थी 26 वर्ष निवासी ग्राम चंगवार थाना बड़ा गांव भी आयी थी, जिसको तीन माह का गर्भ था उपस्थित डाक्टरों ने श्रीमती मुन्नी देवी के गर्भ की बिना जांच किये ही उसका बन्ध्याकरण आपरेशन कर दिया जिससे उसका आकस्मिक निधन तत्काल मौके पर ही हो गया। फिर भी इसके सन्दर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों ने कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की तथा मृतक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराने गये, उसके पति एवं घर वालों को थानाध्यक्ष बड़ा गांव ने चिकित्सा अधिकारी के दबाव के कारण डाक्टर डांट कर भगा दिया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक मुन्नी देवी के परिवार को राहत कोष से सहायता तथा चिकित्साधिकारियों की लापरवाही की जांच कर दण्डित करने की मांग करता हूं।

जनपद बागपत के दाहा दोघट आदि कतिपय गांवों में चकबन्दी कार्य लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर, बागपत जनपद के दाहा दोघट टीकरी, निरपुडा बामनौली, सिरसली, रछाड, मवीकलां आदि गांवों में चकबन्दी का काम विगत लगभग 20 वर्षों से लम्बित है। इतने दिनों से चकबन्दी लम्बित रहने के कारण किसानों को असुविधा तो हो ही रही है इस क्षेत्र में प्रस्तावित अनेक परियोजनाओं भी रुकी पड़ी है। चकबन्दी के कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का लोक महत्व की इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों में चकबन्दी कार्य तुरन्त कराया जाये ।]

जनपद अम्बेडकर नगर टाण्डा में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित कृषकों को नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में प्रभावित कृषकों को लगभग 15-16 वर्ष बीत जाने के बाद भी नौकरी न दिये जाने के कारण उनके सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावित कृषकों को नौकरी दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर की कतिपय ग्राम पंचायतों का धन आहरण कर गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं की ग्राम पंचायतें सिरसौल, बैन, अम्बियापुर, हैढलपुर, हैवतपुर सुन्दर, रिसौली के ग्राम प्रधानों तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी अम्बियापुर ने निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में धन आहरण करके गबन किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1–सिरसौल ग्राम आहरित धनराशि रु० 436780.00 व्यय राशि 23004.00 तथा पंचायत भवन धनराशि रु० 206776.00 ।

2–बैन ग्राम पंचायत आहरित धनराशि रु० 115782.00 व्यय धनराशि रु० 81934.00 गबन धनराशि रु० 33884.00 ।

3–ग्राम पंचायत अम्बियापुर आहरित धनराशि रु० 347546.00 व्यय धनराशि रु० 313788.81 गबन धनराशि रु० 33757.00 ।

4–ग्राम पंचायत हैदलपुर आहरित धनराशि रु० 74570.00 व्यय धनराशि रु० 40072.00 गबन धनराशि रु० 34488.00 ।

5–ग्राम पंचायत हैवतपुर सुन्दरनगर आहरित धनराशि रु० 173500.00 व्यय धनराशि रु० 180764.00 गबन धनराशि रु० 72736.00 ।

6–ग्राम पंचायत रिसौल आहरित धनराशि रु० 351659.00 व्यय धनराशि रु० 206647.00 गबन धनराशि रु० 168578.00 ।

उक्त समस्त प्रकरणों की जांच तथा पैमाइश विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर की गयी और इस संबंध में विवरण के साथ मैंने सम्पूर्ण प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही एवं धनराशि की वसूली हेतु अनुरोध किया किन्तु अभी तक न तो उक्त धनराशि वसूलयावी हेतु कार्यवाही की गयी और न ही संबंधित ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी अम्बियपुर के विरुद्ध जांच एवं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी है । पूरे प्रकरण को दबाया जा रहा है । इसे विधान सभा में 301 लिया जाना इसलिए आवश्यक हो गया है कि जनहित में इस मामले को दबाया जाना अन्यायपूर्ण होगा तथा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है ।

अतः इस प्रकरण को लोक महत्व एवं अविलम्बनीय होने के कारण विधान सभा के समक्ष रखकर इसकी चर्चा की मांग करता हूं ।]

छत्रपति शाहूजी महराज नगर के ग्राम बरिया तहसील मऊ में चकबन्दी प्रक्रिया की जांच करवाने एवं जनपद में डी०डी०सी० की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर की मऊ तहसील में चकबन्दी कार्य तेजी से चल रहा है परन्तु पूरा चकबन्दी विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है ग्राम बरिया तहसील मऊ में चकबन्दी प्रक्रिया में भारी धांधली की गयी है चकबन्दी अधिकारियों ने बड़े कास्तकारों से धन उगाही करके उनके खातों की अधिक मालियत लगायी तथा छोटे कास्तकारों जो रिश्वत नहीं दे सकते खेतों की कम मालियत लगाकर नियम विरुद्ध चक काट दिये हैं । ग्राम प्रधान ने स्वयं नाजायज रूप से अपने परिवारजनों के नाम पट्टे कर लिए हैं तथा अपने नाबालिग लड़कों के नाम फर्जी वरासत दर्ज करा ली है, जिलधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी छत्रपति शाहू जी महराज नगर ने स्वयं पूरी प्रक्रिया की जांच की है अनियमितता तथा धांधली को स्वीकारा है परन्तु चकबन्दी का भष्टाचार अभी भी चल रहा है । ग्राम बरिया में सार्वजनिक उपयोग तथा कमजोर वर्ग के लिए कोई भूमि नहीं छोड़ी जा रही है ।

पूरी चकबन्दी प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह गयी है ।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ग्राम बरिया की चकबन्दी निरस्त की जाये तथा जिला छत्रपति शाहू जी महराज नगर में डी०डी०सी० की नियुक्ति तुरन्त की जाये ।]

आजमगढ़ नगरपालिका स्थित एक विद्यालय के छात्र का अपहरण एवं हत्या से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, आजमगढ़ नगरपालिका में स्थिति एक सरस्वती शिशु मन्दिर के कक्षा तृतीय के छात्र राहुल का अपहरण दिन दहाड़े करके उसकी नृशंस हत्या दो दिन पूर्व कर दी गयी जिससे नगर के नागिरकों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है । नागरिकों ने कल बाजार बन्द कर दिया सड़कें जाम कर दी सारा आवागमन अवरूद्ध कर दिया गया सभी वर्ग के लोग सड़क पर उतर आये । अधिवक्तओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया शिक्षा संस्थायें बन्द हो गयीं अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं जा सके हैं इस घटना से सरकार के भयमुक्त समाज के नियमों को कलई खोल दी है ।

मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूं कि इस दुर्घटना पर वक्तव्य दें तथा अविलम्ब हत्यारों को गिरफ्तार कराये ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बुलन्दशहर में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर कराकर परीक्षायें कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ सम्पूर्ण जनपद में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकायें शासनादेश 742/15-(13)–94–1499(8)/77, दिनांक 6 सितम्बर, 1994 के द्वारा पत्राचार से बी०टी०सी० प्रशिक्षण कर रहे थे। माननीय सचिव महोदय के आदेश संख्या 507/15-(13)–96–1499(8)/77, दिनांक 18 मार्च, 1996 के तहत अनुमोदन न होने पर प्रशिक्षण रोक दिया गया।

मान्यवर, जब विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अप्रशिक्षित अध्यापक ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कई रिट याचिकाओं हेतु शरण ली जिसमें माननीय उच न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किये मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों को अमल में लाते हुए प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बुलन्दशहर ने समस्त शिक्षा अधिकारियों को सूचित करते हुए अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रथम प्रशिक्षण शिविर दिनांक 5-5-1997 से 9-5-97 तक एवं 15-5-97 से 20-5-97 तक दस दिवसीय (89) प्रशिक्षणार्थियों का कराया गया।

मान्यवर, उक्त अध्यापकों का द्वितीय प्रशिक्षण शिविर तीन माह पश्चात् कराकर प्रथम की परीक्षायें करायी जानी थीं, परन्तु शिक्षा अधिकारियों द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण न कराकर अब इन्हें परेशान किया जा रहा है। जिसकी लिखित पंजीकृत पत्रों से अप्रशिक्षित अध्यापक एवं मेरे द्वारा मा० शिक्षा मंत्री (बेसिक) उत्तर प्रदेश सरकार एवं समस्त शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं।

अतः मेरी मांग है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासनादेश एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों पर अमल करते हुए सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण शिविर पूर्ण कराकर परीक्षायें करायी जाने की अविलम्ब कार्यवाही की जाय।]

मीरजापुर जनपद के इलाहाबाद बैंक शाखा बरौधा में हुए घोटाला की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भाई लाल–

[मान्यवर, मीरजापुर जनपद के इलाहाबाद बैंक शाखा बरौधा के अन्तर्गत सन् 1982-83 में बैंक घोटाला काण्ड में बैंक मैनेजर और कर्मचारियों की मिलीभगत से क्षेत्र के अनुसूचित जाति, आदिवासी, धरिकार आदि लाभार्थियों का फर्जी तौर पर ऋण स्वयं मैनेजर और कर्मचारियों द्वारा लिया गया था। इस प्रकरण की जांच भी हो चुकी है और इसमें बैंक के मैनेजर और अन्य लोग दोषी भी पाये गये और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा चुकी है।

स्वीकृत ऋण की धनराशि बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों ने फर्जी तौर पर भुगतान करा लिया था जिसके कारण लाभार्थियों को ऋण नहीं मिल पाया था। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इन लोगों से ऋण की वसूली की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण जनता में काफी रोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो रहा है और सरकार की क्षवि धूमिल हो रही है और ऋण प्राप्त न होने पर भी ऋण वसूली का औचित्य नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत के कतिपय मार्गों का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कौकब हमीद–

[मान्यवर, जनपद बागपत के अन्तर्गत बागपत क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों के निर्माण करने हेतु शासनादेश संख्या–1405/23-1-96–74सी/96, दिनांक 26 मार्च, 1996 को 192.72 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गयी थी और कार्य कराने का निर्देश हुआ था परन्तु कार्य न होने से यातायात व्यवस्था जर्जर हो गयी है किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है ।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्य कराये जाने की मांग करता हूं :–

1–मेरठ-ग्राम ढयोढ़ी ब्लाक बागपत से ग्राम ढिकाना तक

2–इशरीषपुर से ग्राम वारा से हिसवदा तक

3–नरोजपुर चौपले से गांधी ग्राम तक

4–ग्राम वली से पट्टी बह्मनान तक

5–ग्राम कनौली से ग्राम ढोआ तक (खड़ण्जा लेपन)

6–चोपला से बुढढा तक

7–जापुराबाद नगला से कर्मअलीपुर गढी तक लेपन कार्य

8–ग्राम बली से तालाब के किनारे तक ।]

जनपद जालौन थाना मोहन ग्राम गोरा में स्व० श्री श्रीराम पुत्र श्री मुन्नी लाल प्रजापति की हत्या की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, थाना कोतवाली कालपी जालौन की पुलिस की सांठगांठ से घटना की प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त स्व० श्री राम पुत्र मुन्नी लाल की दिनांक 10-1-98 को हत्या की गयी परन्तु अभियुक्तों को बचाने व हत्या की साजिश में शामिल थाना कालपी की पुलिस ने उक्त हत्या की घटना दिनांक 10-1-98 के स्थान पर घटना दिनांक 11-1-98 दर्शित कर उक्त घटना की प्राथमिकी मु०अ०सं०–23/98 पर अभियुक्तों के नाम पर दर्ज की है । उक्त हत्याकाण्ड की आज तक कोई तफ्तीश नहीं की गयी है और नहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । बल्कि अभियुक्तों की दिनांक 11-1-98 को किसी अन्य जगह उपस्थित बताकर पुलिस इस हत्याकाण्ड से निकालने की कोशिश कर रही है जिसके कारण नगर क्षेत्र कालपी व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के प्रति सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षा व भय व्याप्त हो गया है । अपराधियों का हौसला बुलन्द हो गया है तथा पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा है ।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन–

[मान्यवर, शासन द्वारा गरीब जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिले स्तर पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने की नीति निर्धारित है । उक्त नीति के तहत जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना आज तक नहीं की गयी है जिस कारण तहसील बिलारी की गरीब जनता को नगर चन्दौसी स्थित मुंसिफ कोर्ट जो बिलारी तहसील के नाम से स्थापित है वहां जाकर गरीब जनता को न्याय दिलाया जाता है । इसके कारण उक्त तहसील बिलारी की गरीब जनता को आर्थिक एवं अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है चन्दौसी स्थित मुंसिफ कोर्ट को तहसील बिलारी में स्थापित किये जाने के संबंध में कई वर्षों से प्रयास किया जाता रहा है परन्तु शासन द्वारा अभी तक तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट को स्थापित नहीं किया जा सका है जिससे वहां की गरीब जनता में असन्तोष की भावना व्याप्त है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।]

जनपद कौशाम्बी के विभागीय अधिकारियों के समय से कार्यालय में उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के अति आवश्यक विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं वह यह कि जिला कौशाम्बी के किसी भी विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय में समय से नहीं बैठते हैं और न ही मुख्यालय पर निवास करते हैं इससे आम लोगों को उनसे मुलाकात करने में अत्यन्त कठिनाई होती है । विकास के कार्यों में कोई प्रगति नहीं मालूम की जा सकती है और न ही लोक महत्व की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जा सकता है ।

इसलिए नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम दाहा के पास टैंकर में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, दिनांक 28-8-97 को ग्राम दाहा व कस्बा भोगांव के मध्य जी०टी० रोड तहसील व थाना भोगांव मैनपुरी में टैंकर में लगी आग में हुए भीषण अग्निकाण्ड के कारण 9 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है करीब 16 जलकर गम्भीर रूप से घायल हो गये थे तथा 20-3-98 को मुहल्ला मुहम्मद सईद, कस्बा व थाना भोगांव जनपद मैनपुरी में अचानक दीवाल गिरने से शेरसिंह व मुन्नी बेगम सहित 5 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये थे उक्त हादसों में मृतकों के परिवारी जन व गम्भीर रूप से घायल लोग बेहद गरीब हैं तथा न तो उनके पास खाने के लिए कोई अनाज है और न ही पहनने आदि के लिए कोई कपड़े यह लोग भूखों मरने के कगार पर पहुंच गये हैं, यह हादसे मान्यवर, आपके संज्ञान में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं तथा अभी तक पीड़ितों एवं मृतकों के परिवारी जनों को शासन स्तर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मृतकों के परिवारी जनों एवं पीड़ितों को शासन से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मांग करता हूं । ।

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता सदर ब्लाक के जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलकर नये ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय, प्रतापगढ़ जनपद के मेरे विधान सभा क्षेत्र के मान्धाता सदर ब्लाक के 5 ट्रान्सफार्मर जल गये कई माह से उनी मरम्मत नहीं हो सका है जिससे किसानों के लाखों रुपये की फसल नष्ट हो गयी है पृथ्वीगंज क्षेत्र में विद्युत सप्लाई ठप्प है अतः इस अति लोक महत्वपूर्ण विषय नये ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु जनहित में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं । ।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर ब०स०पा० के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

(औचित्य के प्रश्न लिये जाने पर श्री लाल जी वर्मा, श्री मुरारी लारी तथा श्री आर० के० चौधरी के साथ ब० स० पा० के सभी सदस्य नारे लगाते हुए पुनः सदन के फ्लोर में आ गए ।)

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन नियमों और परम्पराओं के आधार पर चलता है । ...

(इसके बाद सदन की वेल में आये हुये माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 311 में हमने सूचना दी थी, बहुजन समाज पार्टी...

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । कार्यसूची के मद संख्या 8 पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आयेंगे, उसमें यथासमय, यथा नियम जो भी बात होगी, आपको अवसर मिलेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रामजग–

मान्यवर, हमने भी नियम 311 में सूचना दी है, उसको पहले सुन लें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भाषा ठीक नहीं है । आप बैठ जांए । 301 की सूचनायें पढ़कर सुना दी गयी हैं । 300 की जो सूचनायें हैं उन पर सुनने के बाद बाकी पर 2-3 मिनट लगेगा, फिर नियम 56 आ जायेगा, फिर उसको सुन लेंगे । मैं चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कार्यसूची में जो मदों का क्रम तय किया गया है वह इस तरह का नहीं है कि इधर से उधर नहीं हो सकती है । यहां तो आवश्यकता पड़ती है तो रोज ही आगे पीछे मदों को कर दिया जाता है । मद संख्या 8 को पहले ले लेंगे तो कोई अनुचित नहीं होगा । अगर ज्यादा समय लेने वाला न भी हो तो मद संख्या 8 को तो आप सुनेंगे ही । इसलिये पहले इसको ले लें । पूरा विपक्ष चाहता है कि इसको पहले ले लें । आप संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछ लें कि उनको कोई आपत्ति है ? मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप मद संख्या–8 को पहले ले लें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा, सदन का समय बरबाद हो रहा है । हम सबसे बड़े दल के सदस्य हैं, पहले हमारी बात सुनी जानी चाहिए ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, हमने जो नियम 311 में सूचना दी है, उसमें यही लिखा है कि सारे नियमों को निलम्बित करके ग्राह्यता पर सुन लिया जाय, आज पूरे प्रदेश में राजनीतिक विद्वेषवश हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्देश देता हूं कि माननीय नेतागण अपने सदस्यों को नियंत्रित करें ।

मैं नियम 300 के लिये बुला चुका हूं ।

(इसके बाद सभी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया । सदन के फ्लोर पर आये विपक्षी सदस्य लगातार नारे लगाते रहे–पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, खरोद-फरोख्त की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 5 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपसे नियम 311 में निवेदन करना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें । अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप लगाये गये हैं जो कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे । मैं प्रेस के बंधुओं को निर्देश देता हूं कि यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका वह ध्यान रखें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिये यह नहीं लिखा जायेगा । आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को ले रहा हूं । श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव आप औचित्य के प्रश्न पर अपनी बात कहें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें । मैं प्रारम्भ में ही कह चुका हूं कि यथासमय और नियमानुसार आपकी बात अवश्य सुनी जायेगी । इसलिये आप लोग शांत रहें । पुनः मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम 300 में औचित्य के प्रश्न पर जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दिया है कृपया पहले उनको सुन लें उसके पश्चात् आप अपनी बात कह लेंगे ।

आप सभी जिम्मेदार जन प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये आपसे बहुत अपेक्षायें हैं लेकिन यथासमय नियमानुसार आप लोग अपनी बात कहें तो अच्छा होगा और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल बात कहें तो शोभनीय होगा । इसलिए नियम 300 चल रहा है तो जो औचित्य के प्रश्न जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं पहले उनको सुन लें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, सदन का बहुत सा समय अनावश्यक इस तरह से व्यतीत हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश में जो घटनायें घटित हुई हैं और स्वयं विधायकों पर घटित हुई हैं....।

स्वयं विधायकों के ऊपर जो घटनायें घटित हुई हैं, उन पर आप पहले सुन लें । नियम–56 में आपने परिवर्तित कर दिया है ठीक है परन्तु 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी गई हैं उसका भी अपना एक महत्व है, उस पर आप थोड़ा अवश्य सुन लें । भले ही एक आदमी बोले परन्तु आप सुन अवश्य लें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । अब उसका एक नियम है । उसमें से एक सूचना को चयनित किया जाता है शेष सूचनायें शलाका के आधार पर आती हैं । कुछ नियम हैं और कुछ परम्परायें हैं, उसी के आधार पर कार्यवाही चलेगी । यह कतई मंशा नहीं है कि किसी व्यक्ति की कोई उचित बात अगर वह नियम के अन्तर्गत आती है तो उसे न सुना जाए ? उसे यथासमय सुना जायेगा, उसकी ग्राह्यता पर सुना जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप नियमों की बात कर रहे हैं और परम्पराओं की बात कर रहे हैं । मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि स्वयं माननीय विधायकों के ऊपर जो घटनायें घटित हुई हैं, उन्हें आप विशेष रूप से सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा तो सही कि यथासमय सुन लिया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

ठीक है, यदि आठवें स्थान पर ही है तो आप उसी स्थान पर सुन लीजिए । आप तो अपनी जिद्द पूरी करना चाहते हैं । इस प्रकार विपक्ष के अधिकारों का हनन किया जायेगा तो ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल जी, यह भावना आपको शोभा नहीं देती ।

श्री धनीराम वर्मा–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कह रहे हैं, वह आपके आचरण के अनुसार है क्या ?

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

नेता विरोधी दल अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए हैं और आप टोक रहे हैं । आप अपनी कुर्सी की गरिमा को बनाये रखें । मैं नहीं बैठूंगा । आप इस तरह से बात करते हैं । मैं विनम्रता से कह रहा हूं और आप सुन नहीं रहे हैं । अजीब तमाशा है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सदन की परम्परा भी रही है और यह पीठ माननीय सदस्यों के अधिकारों की संरक्षक रही है । माननीय सदस्यों के साथ जो गंभीर घटनायें हुई हैं, उनके बारे में माननीय नेता विपक्ष विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि जो क्रम आपने तय किया है, वह सही है उसी के हिसाब से आप सुन लीजिए । यदि उसमें थोड़ा फेर बदल भी हो जाता है तो उससे इस सदन की कोई गरिमा नहीं गिरती है और न किसी की अवहेलना होती है अब कल ही मद संख्या 27 को पहले ले लिया उसके बाद मद संख्या 26 ली गई और उसके बाद मद संख्या 4 ली गई । इससे सदन की कोई गरिमा नहीं गिरती है । फिर दूसरी यह है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि यदि सदन के किसी माननीय सदस्य के साथ कोई गंभीर घटना घटी है तो उसे सुना जाता है । यदि ऐसे माननीय सदस्य को पहले सुना जाता है तो इससे सदन की गरिमा नीचे नहीं होती है । यदि इसमें आपकी जिद्द पीछे होती है तो उसके कोई मतलब नहीं है । यदि मेरा शब्द उचित नहीं है तो आप इसे मेरी भावनाओं के हिसाब से संशोधित कर सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सदन को अपराह्न में दूसरे तेवर से चलाने की कृपा करें। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप श्री उदयराज जी की बात सुन लें। जो समय सीमा आप देंगे उसका उल्लंघन वह नहीं करेंगे। उनके साथ जो घटना घटी है वह सुन लें। अब तो दूसरा प्रहर शुरू हो गया है और सूर्य की गर्मी भी धीमी हो गई है। [x x x] आपकी दृष्टि उधर की तरफ है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई इशारा कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सब कुछ के बावजूद वह भी सदन के सदस्य हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यदि कोई महत्वपूर्ण बात विशेषकर माननीय सदस्य के संदर्भ में हो तो उसको हम अवश्य सुनेंगे, उसका महत्व भी होता है। लेकिन मैंने नियम 300 में एक सदस्य को बुला लिया है तो उसको समाप्त हो जाने दीजिये जब मद आयेगी तब आपको अवश्य सुना जायेगा।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 311 के अन्तर्गत अतिमहत्वपूर्ण सूचनायें लगाई जाती हैं और वह हमने दी। आप उसको सारे नियमों को शिथिल करते हुए सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर निर्णय दिया जा चुका है।

श्री लालजी वर्मा–

नियम 311 के अन्तर्गत जो प्रश्न आते हैं उस पर ग्राह्यता पर सुनने का अधिकार है और उस पर आप निर्देशित भी करते हैं और सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिये भी कह सकते हैं। हमने अतिमहत्वपूर्ण सूचना नियम 311 के अन्तर्गत दी थी। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे दो माननीय सदस्य को जेल में बन्द कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को फर्जी केस बनाकर फंसाने का काम किया जा रहा है .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जायें। मैंने औचित्य के प्रश्न पर माननीय सदस्य श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव को बुला लिया है। मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि नियम 311 की सारी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और इस पर निर्णय हो चुका है।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x] [x x x] [x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप मेरी अनुमति के बगैर न बोलें। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा .....

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के मध्य आकर नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

आश्वासन समिति का 71वां प्रतिवेदन (वर्ष 1978 से 1995 तक)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 71 वां प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग तथा शिक्षा विभाग (वर्ष 1978 से 95 तक) से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं। †

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 25 तथा 26 मार्च, 1998 के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मार्च, 1998</u>

25 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :––

(क) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998–– आधा घण्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998–एक घण्टा।

26 गुरुवार

(1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त)।

(2) विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता ने सदन को दी गयी है, सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† छापा नहीं गया।

(बहिन मायावती पर लगे फर्जी मुकदमें वापस लो-वापस लो भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाये जाते रहे ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25 मार्च, 1998 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । नियम 311 में पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी श्री चन्द्रपाल सिंह श्री श्याम किशोर यादव की है । दूसरी सूचना श्री धनीराम वर्मा श्री बकार अहमद शाह श्री शिवपाल सिंह यादव श्री सुधाकर सिंह श्री राम प्यारे श्री अम्बिका चौधरी, श्री वसीम अहमद श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री गोपाल कृष्ण श्री राम तेज यादव एडवोकेट की है । इसी विषय पर श्री विजेन्द्र आर्य की भी सूचना है । तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है । चौथी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की है । पांचवीं सूचना डा० अशोक वाजपेयी, श्री अरविन्द गिरि, श्री रामेश्वर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव की है । छठीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुराद लारी, श्री रामपाल, श्री आर०के० चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री राजाराम पाल श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी, श्री राम शंकर पाल, श्री राम ललित चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज की है । 7वीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है । 8वीं सूचना श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम प्यारे श्री अम्बिका चौधरी, श्री आलम बदी की है । 9वीं सूचना श्री ददू प्रसाद की है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है अतः अस्वीकार की गई । पहली सूचना श्री संजय गर्ग दूसरी श्री राम सिंह सैनी, तीसरी श्री राम जग, श्री राम कृपाल सिंह, श्री राम स्वरूप की है । चौथी सूचना श्री दीपक कुमार एवं श्री हाजी मुश्ताक सोलंकी, पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, डा० अम्मार रिजवी, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद की है । छठीं सूचना श्री अफजाल अहमद, श्री श्रीराम यादव, श्री ज्वाला प्रसाद की है । 7वीं सूचना श्री विजय पाल सिंह, आठवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, 9वीं सूचना श्री दीपक कुमार 10वीं सूचना श्री राम प्यारे श्री दुर्गा प्रसाद यादव श्री वसीम अहमद की है । 11वीं सूचना श्री राम औतार शाक्य 12वीं सूचना डा० कौशल किशोर की है । 13वीं सूचना श्री छोटे लाल गंगवार एवं नन्दराम की है । 14वीं सूचना श्री मुराद लारी, 15वीं सूचना श्री श्रीराम पाल, 16वीं सूचना श्री मोतीलाल पैलवी, 17 वीं सूचना श्री धर्मेंद्र मिश्र, 18वीं सूचना श्री लालजी वर्मा, 19वीं सूचना श्री प्रमोद कुमार 20वीं सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह व डा० अशोक बाजपेयी की है । 21 वीं सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव 22वीं सूचना श्री राम नक्षत्र, 23वीं सूचना श्री सत्य प्रकाश सोनकर, 24वीं सूचना श्री विश्वनाथ व श्री राधेश्याम सिंह व श्री सुधाकर सिंह की है । 25वीं सूचना श्री श्याम किशोर यादव व श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है । 26वीं सूचना श्री समरपाल सिंह, 27वीं सूचना श्री मुराद लारी, 28वीं सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव 29वीं सूचना श्री कौकब हमीद व श्री समरपाल सिंह की है । 30वीं सूचना श्री राम विशुन आजाद श्री उबैदुर्रहमान श्री राम पाल सिंह व श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की है । 31वीं सूचना श्री राम कृपाल सिंह की है । 32वीं सूचना श्री राम सिंह सैनी व 33वीं सूचना श्री श्रीराम पाल की है ।

मैं अब इन सूचनाओं पर सुनने जा रहा हूं। जिन सूचनाओं पर माननीय सदस्य इतनी देर से चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं और अपनी दिलचस्पी व्यक्त कर रहे हैं मैं उनको बुला रहा हूं ग्राह्यता पर सुनने के लिये।

(बहिन मायावती पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाय आदि नारे लगाये जाते रहे।)

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारा गया।)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट काकोरी थाने के अन्तर्गत ग्राम सभा जेहटा के मजरे खेड़ा व उमराव खेड़ा में 7 व 8 मार्च, 98 को पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार वहां के निरीह लोगों के साथ किया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। पुलिस ने वहां के लोगों को मारा पीटा, उनकी सम्पत्ति लूटी जिसके कारण आज भी वहां के लोग भयभीत हैं विरोध स्वरूप वहां पर 8–10 गांवों में इस बार होली का पावन पर्व भी नहीं मनाया गया। घटना अखबारों में प्रकाशित हुई और दूरदर्शन पर भी इसकी जानकारी दी गयी। लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर आज तक जूं नहीं रेंगी है। इस घटना के संबंध में हम लोगों द्वारा मुख्य मंत्री जी को भी लिखा गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आयुक्त लखनऊ भी अभी तक घटनास्थल पर नहीं गये हैं। पुलिस की बर्बरता की हद यहां तक हुई कि 90 वर्ष की अंधी महिला फूला को पुलिस ने पीटी जिससे उसका कूल्हा टूट गया। लोगों के सामान, गेहूं चावल तक को कुओं में डाल दिया गया, बर्तन कुएं में फेंक दिये गये और महिलाओं तथा बच्चों पर जुल्म किये गये लेकिन अभी तक पुलिस कर्मियों को दण्डित नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि पूरे थाने को निलम्बित किया जाय और घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाय।

मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव तथा श्याम किशोर यादव विधायकगण के साथ वहां गया वहां पर पुलिस बर्बरता को देखकर हमारा दिल दहल गया। उम्मीद यह की जाती थी कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देगी और मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करेगी। अतः आपके संज्ञान में यह तथ्य लाते हुये मैं आशा करता हूं कि आज का सारा कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जायेगी ताकि वहां पर हुई घटना के सारे तथ्य यहां आ सकें और उनकी पृष्ठभूमि में प्रभावी जांच व कार्यवाही की जा सके। मेरी यह भी मांग है कि निर्दोष जो जेलों में बन्द हैं उनको रिहा किया जाय और जिन व्यक्तियों को क्षति हुई है उनको मुआवजा दिलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह सभी सूचनायें अग्राह्य करने के पश्चात् निरस्त की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 1997–98 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1998–99 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 24 मार्च, 1998 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 10207, 79, 45,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां वितरित की जांय ।

(प्रतियां वितरित की गईं ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1998–99 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 24 मार्च, 1998 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय को 10207,79,45,000 रुपये से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान), विधेयक, 1998

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां वितरित की जायं ?

(प्रतियां वितरित की गईं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 व खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998

1 अप्रैल, 1998 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 1998 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1998–99 के लिये 13046,38,30,000 रुपये का दिया जाना।

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1998 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 13046,38,30,000 रुपये (केवल तेरह हजार छियालिस करोड़, अड़तालिस लाख, तीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्र०सं०		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1 2		3	4	5
1 आबकारी विभाग	राजस्व	6,75,12	3	6,75,15
	पूंजी	1,66,67	...	1,66,67
2 आवास विभाग	राजस्व	8,73,47	19,00,00	27,73,47
	पूंजी	30,09,62[4]	10,23,33	40,32,95
3 उद्योग विभाग	राजस्व	12,41	...	12,41
(निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी	50,00	...	50,00

1	2		3	4	5
4	उद्योग विभाग	राजस्व	2,12.87	17	2,13.04
	(खानें और खनिज)	पूंजी	...	...	...
5	उद्योग विभाग	राजस्व	14,63.99	67	14,64.66
	(ग्राम एवं लघु उद्योग)	पूंजी	1	...	1
6	उद्योग विभाग	राजस्व	8,17.36	2.33	8,19.69
	(हथकरघा उद्योग)	पूंजी	28.00	2.91	30.91
7	उद्योग विभाग	राजस्व	10.82	15.00	25.82
	(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी	67,66.67	20.33	67,87.00
8	उद्योग विभाग	राजस्व	13,03.92	...	13,03.92
	(मुद्रण और लेखन-सामग्री)	पूंजी	...	...	...
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,39.03	...	1,39.03
		पूंजी	417,31.67	...	417,31.67
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	20,32.16	11.55	20,43.71
	विभाग (औद्यानिक विकास)	पूंजी	1,76.67	...	1,76.67
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	182,49.07	1.05	182,50.12
	विभाग (कृषि)	पूंजी	29,29.74	17	29,29.91
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	19,95.11	...	19,95.11
	विभाग (क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	336,41.77	1.33	336,43.10
	विभाग (ग्राम विकास)	पूंजी	2,07.60	...	2,07.60
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	99,11.67	7	99,11.74
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	45,72.67	33	45,73.00
	विभाग (पशुधन)	पूंजी	1,83.12	...	1,83.12
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	2,66.67	1	2,66.68
	विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी	1,08.55	...	1,08.55
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	5,37.60	2	5,37.62
	विभाग (मत्स्य)	पूंजी	...	...	...

2		3	4	5
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व	8,76,96	8,63,55	17,40,51
विभाग (सहकारिता)	पूंजी	253,05,19	7,79,00	260,84,19
19 कार्मिक विभाग	राजस्व	85,67	...	85,67
(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
20 कार्मिक विभाग	राजस्व	36,60	2,35,80	2,72,40
(लोक सेवा आयोग)	पूंजी	...	...	...
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	28,18,11	1,66,95	29,85,06
	पूंजी	815,31,90	17	815,32,07
22 खेल विभाग	राजस्व	4,30,55	...	4,30,55
	पूंजी	51,59	...	51,59
23 गन्ना विकास विभाग	राजस्व	17,77,50	5,10	17,82,60
(गन्ना)	पूंजी	...	2,83	2,83
24 गन्ना विकास विभाग	राजस्व	4,07,46	5,51,04	9,58,50
(चीनी उद्योग)	पूंजी	6,50,00	3,66,67	10,16,67
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	22,61,89	...	22,61,89
	पूंजी	3,70,00	...	3,70,00
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	502,07,57	26,10	502,33,67
	पूंजी	16,77,40	19,83	16,97,27
27 गृह विभाग (नागरिक	राजस्व	25,26,55	...	25,26,55
(सुरक्षा)	पूंजी	...	...	...
28 गृह विभाग (राजनैतिक	राजस्व	15,79,63	...	15,79,63
(पेंशन तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
* 29 गोपन विभाग	राजस्व	...	86,37	86,37
(राज्यपाल सचिवालय)	पूंजी	...	...	...
30 गृह विभाग (राजस्व	राजस्व	34,51	...	34,51
(विशिष्ट अभिसूचना	पूंजी	...	...	...
निदेशालय तथा अन्य व्यय)				

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

1	2		3	4	5
31	चिकित्सा विभाग	राजस्व	37,70,15	8	37,70,23
	(चिकित्सा शिक्षा एवं	पूंजी	1	...	1
	प्रशिक्षण)				
32	चिकित्सा विभाग	राजस्व	171,67,72	33	171,68,05
	(ऐलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	51,87,77	...	51,87,77
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व	30,72,15	1	30,72,16
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी	पूंजी	...	...	...
	चिकित्सा)				
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व	11,52,68	7	11,52,75
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	1,00,00	...	1,00,00
35	चिकित्सा विभाग	राजस्व	55,40,37	5	55,40,42
	(परिवार कल्याण)	पूंजी	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व	74,77,19	67	74,17,86
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	33,33	...	33,33
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	99,81,22	...	99,81,22
		पूंजी	35,33,33	...	35,33,33
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,29,04	...	2,29,04
		पूंजी	42,67	...	42,67
39	भाषा विभाग	राजस्व	1,17,17	30	1,17,47
		पूंजी	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व	47,54,44	...	47,54,44
		पूंजी	38,33,35	...	38,33,35
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	13,16,68	...	13,16,68
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	64,67,62	10,83,59	75,51,21
		पूंजी	6,00,00	...	6,00,00
43	परिवहन विभाग	राजस्व	7,19,47	4	7,19,51
		पूंजी	26,97	...	26,97

अतर प्रदेश शासन

1	2		3	4	5
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,90.86	...	2,90.86
		पूंजी	4,81.27	...	4,81.27
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	51,08,44	...	51,08,44
		पूंजी	1	...	1
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	32.53	...	32.53
		पूंजी	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	30,09,01	2,33,35	32,42,36
		पूंजी	50,00	...	50,00
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	54,98,02	83	54,98,85
		पूंजी	1,30,00	...	1,30,00
49	महिला एवं बाल	राजस्व	81,71,96	...	81,71,96
	कल्याण विभाग	पूंजी	3,34	...	3,34
50	राजस्व विभाग	राजस्व	47,53,71	12	47,53,83
	(जिला प्रशासन)	पूंजी	6,72,59	...	6,72,59
51	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व	1,01,93	46,25,34	47,27,27
	विपत्तियों के संबंध में राहत)	पूंजी	5,02	...	5,02
52	राजस्व विभाग (राजस्व	राजस्व	183,10,13	45,78	183,55,91
	परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	7,54	3,51	11,05
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	2,32	...	2,32
		पूंजी	33	...	33
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	105,57,95	1,33	105,59,28
	(अधिष्ठान)	पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	2,48,77	72,97	3,21,74
	(अनावसिक भवन)	पूंजी	3,38,30	33	3,38,63
56	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	3,76,13	14,54	3,90,67
	(आवासीय भवन)	पूंजी	79,42	...	79,42
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	...	1	
	(कार्यात्मक भवन)	पूंजी	62,93	1	62,94

1	2		3	4	5
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	96,74,28	33	96,74,61
	(संचार साधन)	पूंजी	253,67,17	...	253,67,17
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	7,41,07	2	7,41,09
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	2,33,79	...	2,33,79
60	वन विभाग	राजस्व	60,35,01	7	60,35,08
		पूंजी	49,23	...	49,23
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	1157,29,35	1835,71,92	2993,01,27
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	28,43,33	735,85,72	766,29,05
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व	396,26,13	38,46	396,64,59
	भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी	...	...	...
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	12,44,53	1,67	12,46,20
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	3,33,33	...	3,33,33
64	वित्त विभाग	राजस्व	37,06	...	37,06
	(राज्य लाटरी)	पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	16,19,68	...	16,19,68
	परीक्षा अल्प बचत आदि)	पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग	राजस्व	20,01	26,21,60	26,41,61
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी	...	...	...
67	विधान परिषद्	राजस्व	2,23,68	6,93	2,30,61
	सचिवालय	पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	6,78,96	14,17	6,93,13
		पूंजी	...	...	...
69	विधायी एवं संसदीय कार्य	राजस्व	...	...	...
	विभाग (विधान मण्डल)	पूंजी	75,00	...	75,00
70	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	राजस्व	9,61,26	...	9,61,26
	विभाग	पूंजी	...	...	...
71	शिक्षा विभाग	राजस्व	1180,91,38	73,84,15	1254,75,53
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	49,75	...	49,75
72	शिक्षा विभाग	राजस्व	689,53,37	40,02,57	729,55,94
	(माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी	2,71,15	...	2,71,15

1	2		3	4	5
73	शिक्षा विभाग	राजस्व	145,34.65	2,33,34	147,67,99
	(उच्च शिक्षा)	पूंजी	3,16.67	...	3,16.67
74	शिक्षा विभाग	राजस्व	3,86,06	...	3,86,06
	(प्रौढ़ शिक्षा)	पूंजी	...	...	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य	राजस्व	14,44,08	...	14,44,08
	शैक्षिक अनुसंधान एवं	पूंजी	...	...	...
	प्रशिक्षण परिषद्)				
76	श्रम विभाग	राजस्व	19,20,90	2	19,20,92
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग	राजस्व	23,83,09	7	23,83,16
	(सेवायोजन)	पूंजी	1,06,45	...	1,06,45
78	सचिवालय प्रशासन	राजस्व	33,27,84	2	33,27,86
	विभाग	पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	15,68,18	...	15,68,18
	(विकलांग एवं पिछड़े वर्गों	पूंजी	1	...	1
	का कल्याण)				
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	2,77,60,17	1,75	277,61,92
	(समाज कल्याण एवं अनुसूचित	पूंजी	6,00,35	...	6,00,35
	जातियों का कल्याण)				
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	3,31,72	...	3,31,72
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	73,07	...	73,07
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	2,53,60	17,43	2,71,03
		पूंजी	...	...	...
83	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	9,81	...	9,81
		पूंजी	...	...	...
84	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	27,29	...	27,29
		पूंजी	...	...	...
85	सूचना विभाग	राजस्व	8,81,00	...	8,81,00
		पूंजी	...	...	...

1	2	3	4	5
86 सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	4,55,21	2	4,55,23
	पूंजी	...	...	...
87 संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	58,42	...	58,42
(निदेशालय)	पूंजी	...	...	...
88 संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	39,23,89	34	39,24,23
(व्यापार-कर)	पूंजी	8,54,00	...	8,54,00
89 संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	1,59,02	...	1,59,02
(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	...	...	...
90 संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	5,93,93	1	5,93,94
(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी	...	...	...
91 संस्कृति विभाग	राजस्व	4,62,63	2	4,62,65
	पूंजी	60,67	...	60,67
92 सिंचाई विभाग	राजस्व	222,53,11	...	222,53,11
(अधिष्ठान)	पूंजी	35,71,44	...	35,71,44
93 सिंचाई विभाग	राजस्व	366,80,61	2	366,80,63
(निर्माण कार्य)	पूंजी	3,89,02,63	33	3,89,02,96
94 उत्तरांचल विकास	राजस्व	160,33,60	3,26	160,36,86
विभाग	पूंजी	99,27,84	8,64	99,36,48
योग ...	राजस्व	7570,10,95	2078,45,07	9648,56,02
	पूंजी	2637,68,50	760,13,78	3397,82,28
कुल योग ...		10207,79,45	2838,58,85	13046,38,30

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या–13

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

(किसी भी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खंड (ख) में, शब्द "दस पैसे और पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "पच्चीस पैसे और साठ पैसे" रख दिये जायेंगे ।

धारा 9 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात् :–

"परन्तु निम्नलिखित दशाओं में आमोद कर की वसूली की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि–

(एक) ऐसे कर की वापसी का दावा, ऐसे किसी मामले में किया गया है जहां ऐसे कर का आपतन वास्तविक रुप से ऐसे व्यक्तियों को किया गया हो जिन्होंने प्रवेश के लिये भुगतान किया हो, या

(दो) ऐसे कर की वापसी का दावा, ऐसे आमोद के संबंध में किया गया है जिसके लिये किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त की गई हो और मालिक ने ऐसे अनुदान की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो :

परन्तु यह और कि कर की वापसी का तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि ऐसी वापसी का दावा उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न कर दिया जाय :

परन्तु यह भी कि जहां किसी आमोद के मालिक द्वारा आमोद में प्रवेश पाने वाले किसी व्यक्ति से अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में ऐसे कर की कोई धनराशि वसूल की जाती है तो उक्त मालिक से इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, जमा करने की अपेक्षा की जायेगी ।"

नई धारा 34–क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा–34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"ब्याज "34–क– यदि किसी आमोद के मालिक द्वारा अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन देय कर का तद्धीन बनाये गये नियमों में कर के भुगतान के लिये विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भुगतान नहीं किया जाता है तो संगणित कर को भुगतान न की गई धनराशि पर ऐसी समाप्ति के दिनांक से तीन माह तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से और इसके पश्चात् दो प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण व्याज देय होगा और भुगतान किया जायेगा ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 16 तक, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिये और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक–प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

2—यह 18 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) "परीक्षा केन्द्र" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है,

(ख) "परीक्षार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गई हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो,

(ग) "सार्वजनिक परीक्षा" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा से है जो उसमें विधि पूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिये संचालित की जाय,

(घ) किसी परीक्षार्थी के संबंध में, जब कि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधन" का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति

की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रिकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है ।

अध्याय–दो–अनुचित साधनों का निवारण

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध

3–कोई परीक्षार्थी, किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा ।

प्रश्न-पत्र को अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण

4–कोई व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्य पालन के संबंध में ऐसा करने के लिये प्राधिकार या अनुज्ञा विधि पूर्वक नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के वितरण के लिये निर्धारित समय के पूर्व,–

(क) न तो ऐसे प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसकी किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा,

(ख) न ऐसी कोई सूची किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न-पत्र से संबंधित या व्युत्पन्न या संदर्भित है ।

ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध

5–कोई व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गई हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उनको जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा, न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी देगा ।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध

6–कोई व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा मे किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा ।

प्रबन्ध तंत्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा

7–कोई व्यक्ति, जो ऐसी संस्था के, जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्ध तंत्र में होते हुये या कर्मचारीवर्ग में होते हुये या सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा ।

सार्वजनिक परीक्षा के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा

8–कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के प्रयोजन के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा ।

अध्याय—तीन-शास्ति और प्रक्रिया

अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये शास्ति

9–जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारागार से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

जानकारी देने के लिये शास्ति

10–जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा,या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति

11–जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका दोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, या उपहति का या हमले का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

प्रक्रिया

12–(1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा ।

(2) धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होगे ।

अध्याय—चार—विविध

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

13–राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

14–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके संबंध में वह अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

15–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–2 सन् 1998

निरसन और अपवाद

16–(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य का कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

[धारा–2 (ग) देखिये]

1–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें।

2–किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 16 तक, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25 मार्च, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह हैं श्री तेजभान सिंह, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री दीपक कुमार, श्री अकबर हुसैन, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, श्री विजय पाल सिंह, श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी", श्री संजय गर्ग, श्री दीपलाल भारतीय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री जगदीश नारायण "मुन्ना" श्री रामपाल, श्री अजय भट्ट, श्री मस्तराम, श्री रामजग, श्री विजेन्द्र आर्य।

उक्त सभी माननीय सदस्यों की निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

1. श्री तेजभान सिंह — जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली मुसाफिरखाना के अन्तर्गत दुबरिया ग्राम में श्री राम कुबेर सिंह की दिन-दहाड़े हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री धर्मज्ञ मिश्र — प्रदेश में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को पद से पद की समानता के अनुरूप लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री दीपक कुमार — जनपद उन्नाव के कतिपय क्षेत्रों के किसानों की भूमि पर अवैध कब्जेदारी तथा फसलों को जबरन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री अकबर हुसैन — जनपद मुरादाबाद में स्योहारा गन्ना मिल, यू० पी० एग्रो प्रोडक्ट्स (पेपर मिल) द्वारा उत्सर्जित जल से राम गंगा नदी के जल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री चन्द्र नाथ सिंह — जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय मार्गों के टूटे होने से जन-सामान्य को हो रही असुविधाओं तथा मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में व्याप्त धांधली तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री विजय पाल सिंह — जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रजबहा तथा माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने तथा नहरों की पुलिया आदि टूटे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी" — राष्ट्रीय कार्बेट पार्क कालागढ़-पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में सूखे पेड़ों को खुली निकासी में बेचे जाने के संबंध में।

9. श्री संजय गर्ग — सहारनपुर नगर में बाईपास न होने के कारण बढ़ते ट्रैफिक से होने वाली दुर्घटनाओं एवं ट्रैफिक जाम से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में।

10. श्री दीपलाल भारतीय — जनपद कुशीनगर (पडरौना) के गन्ना काश्तकारों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराये जाने के संबंध में।

11. डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — मेरठ महानगर के 27 वार्डों में सफाई कर्मचारियों के न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री जगदीश नारायण "मुन्ना" — जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्र के अन्तर्गत जलालपुर बाजार के प्राचीन शाही पुल को जिला परिषद् की सम्पत्ति घोषित करने तथा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री श्रीराम पाल — जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में फिरौती वसूलने हेतु दस्युदलों द्वारा किसानों का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री अजय भट्ट — जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर हुयी अतिवृष्टि से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

15. श्री मस्तराम,
श्री कृपाशंकर सिंह
तथा
श्री बाबूलाल कुरील — जनपद उन्नाव में बाईपास पर स्थापित टेनरीज फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
25 मार्च, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 34 विधान सभा (41)–1998–813 (कम्प्यूटर/आफसेट) ।